the State Governments. Greater emphasis is being laid on the improvement of slums and provision of serviced sites to the economically weaker sections of society. Since the problem of slums has socio-economic ramifications and is not solely related to housing shortage, no realistic time-frame for solving this problem can be laid.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुड़ की वसूली

7864. श्री रामसेवक हजारी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम गुड उत्पादकों से गुड की खरीद करने मे असमर्थ रहा है ;

(ख) क्या गुड की कीमतें दिन प्रति दिन गिर रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो गुड उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के चुनींदा केन्द्रों म जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1978 (15-4-78 तक) के दौरान चल रहे गुड के साप्ताहिक थोक मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एलटी-2176/78]

(ग) भारतीय खाद्य निगम और नफेड जैसी केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों द्वारा गुड की काफी अधिक मात्रा मे खरीदारी की जा रही है।

इस के अलावा, निर्यात से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं और बैंक उधार पर मार्जिन कम कर दिए गए है ताकि उत्पादक-व्यापारी निर्यात द्वारा अपने स्टाक का निपटान कर सकें और उन की स्टाक रखने की शक्ति में वृद्धि हो सके।

संयुक्त नदी घाटी परियोजना के बारे में भारत और नेपाल के बीच बातचीत

7865. श्री रामसेवक हजारी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या सयुक्त नदी घाटी परियोजना के बारे मे भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई है,

(ख) यदि हा, तो उसका क्या परिणाम निकला है, और

(ग) कौन कौन सी परियोजनाए क्रियान्वित की जानी है और उन से भारत और नेपाल का कितना कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग) भारत के प्रधान मंत्री का नेपाल यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई सयुक्त विज्ञप्ति मे निम्नलिखित निर्णय शामिल थे —

(1) करनाली परियोजना

करनाली परियोजना सबधी समिति के विचारणीय विषयों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और तीन महीने की अवधि में इस समिति की बैठक की जानी चाहिए तथा इस समिति को अपनी सिफारिशें एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि परस्पर हित के लिए इस परियोजना को क्रियान्वयन के लिए शीघ्र हाथ में लिया जा सके।